आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा/पत्र–व्यवहार/2018–19/57 दिनांक– 04.5.18

आदेश

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्थान स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनान्तर्गत ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन किया था, जिसे महाविद्यालयों/ जिला नोडल अधिकारियों द्वारा आक्षेपों की पूर्ति करने हेतु संबंधित विद्यार्थियों को लौटाते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ति हेतु संदेश प्रसारित कर सूचित किया गया। किन्तु निर्धारित अवधि मार्च 2018 तक पूर्ति नहीं करने से कुछ विद्यार्थियों के फार्म स्वीकृति से रह गये, जिससे उनके खातों में छात्रवृति की राशि हस्तान्तरण नहीं हो पाई। अतः समस्त विद्यार्थियों/महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों के लिए निम्नानुसार छात्रवृति पोर्टल प्रारम्भ किया जाता है–

क्र. सं.	विषय वस्तु/छात्रवृति का नाम	निर्धारित तिथियां
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना में छात्रवृति आवेदन पत्र में विद्यार्थियों द्वारा शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, खाता संख्या में त्रुटि, बैंक खाता संचालन नहीं होना, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रवेश रसीद का अभाव, भामाशाह कार्ड में त्रुटि, भामाशाह अपडेशन का अभाव इत्यादि कारणों से आक्षेप युक्त आवेदन पत्रों की पूर्ति करने की अवधि	05 मई 2018 से 11 मई 2018
2	महाविद्यालयों द्वारा जाँच/प्रमाणन पश्चात् जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन अग्रेषण करने की अवधि	05 मई 2018 से 15 मई 2018
3	जिला नोडल अधिकारी द्वारा जाँच/प्रमाणन पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर आयुक्तालय से बजट प्राप्त कर स्वीकृति, बिल तैयार कर, कोषालय से पारित कराकर छात्रों के बैंक खातों में हस्तान्तरण	05 मई 2018 से 19 मई 2018

उक्त तिथियों पश्चात् उपर्युक्त योजना में विद्यार्थियों/महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारी स्तर पर कर्मी/पूर्ति से छात्रवृति आवेदन पत्र लम्बित रहते है तो उसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही उजागर होने पर नियमानुसार सम्बन्धित छात्रवृति प्रभारी/प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(राजेन्द्र शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर

D:/ All Office Data & Files /CM Sch. All word files /f 23(45), 23(46) CM Sch.

क्रमांकः एफ 23(45) लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा/पत्र–व्यवहार/2018–19/ 58-86 दिनांक– 04.05.18

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर।
7. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, (माध्यमिक/प्राथमिक) जयपुर।
8. आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, राज. जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
11. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. निदेशक विशेष योग्यजन, जयपुर।
13. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग, जयपुर।
15. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर।
16. निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
17. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान।
18. जिला कलेक्टर (समस्त)
19. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
20. संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर, जयपुर।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)
22. कोषाधिकारी समस्त राजस्थान।
23. रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर /कोटा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर/श्री भृतहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर/राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय समस्त राजस्थान।
24. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक /प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय /बोर्ड/ काउंसिल (समस्त) समस्त राजस्थान।
25. श्री राजीव गुजराल, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को उक्त तिथियों अनुसार विभिन्न स्तर पर छात्रवृति पोर्टल को प्रारम्भ एवं बन्द करवाने हेतु।
26. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान।
27. प्राचार्य निजी महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय / संस्कृत महाविद्यालय / कृषि महाविद्यालय समस्त राजस्थान।
28. सहायक निदेशक (क्षेत्रीय), जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
29. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहाकार

D:/ All Office Data & Files /CM Sch. All word files /f 23(45), 23(46) CM Sch.